न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– शंकर लाल सैनी, RAS

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या : 12/2018

1. राज्य सरकार जरिये सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक (उत्तर), वन विभाग, मिनी सचिवालय, बनी पार्क, जयपुर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेन्ज चौमू, जिला–जयपुर।

प्रार्थीगण,

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी श्री कालूराम जाट, निवासी–राधास्वामी बाग, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
2. तहसीलदार, चौमू, जिला–जयपुर।
3. पटवारी पटवार हल्का सामोद, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् अप्रार्थी सं0 1 की ख0नं0 1053/2401 व ख0नं0 1056/2400 रकबा 2.53 हे0 भूमि वन विभाग की अधिसूचित भूमि होने के कारण आवंटन निरस्त करने हेतु।)

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री गणेश विजयवर्गीय, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं0 1 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 18.05.2022**

प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि वन बन्दोबस्ती महार–सामोद के ख0नं0 629 का रकबा 207 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी, इसमें से हाल ख0नं0 1056/2400 व 1053/2401 रकबा 2.53 हे0 भूमि वन विभाग के नाम से दर्जशुदा है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि वन विभाग की होने के बावजूद पूर्व में वादग्रस्त भूमि को बजरंगलाल, नृसिंहलाल पुत्र छाजूराम को आवंटित कर दी गई। उक्त भूमि का आवंटन निरस्त करने हेतु वन विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किए गए। अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी उपस्थित जरिये अधिवक्ता दर्ज कराई गई तथा जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित ख0नं0 629 रकबा 207 बीघा 12 बिस्वा को वन भूमि अधिसूचित करने हेतु मार्च 1978 में विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 1(ख) दिनांक 09.10.1980 से ग्राम महार–सामोद की ख0नं0 629 रकबा 207 बीघा 12 बिस्वा की भूमि को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उक्त भूमि में से ख0नं0 1056/2400 व 1053/2401 रकबा 2.53 हे0 भूमि भी वन विभाग के नाम दर्जशुदा है। उक्त भूमि वन भूमि होने के कारण किसी को आवंटित नही की जा सकती। वन बन्दोबस्ती में वन विभाग की संपत्ति दर्ज होने के बावजूद पूर्व में बजरंगलाल, नृसिंहलाल पुत्र छाजूराम, निवासी–10, चौधरी हाउस, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क,

जयपुर को आवंटित कर दी गई तथा नामान्तरकरण सं0 587 दिनांक 12.05.2006 एवं 05.07.2005 के बैचान के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 के नाम भूमि दर्ज कर दी गई। वादग्रस्त भूमि मूल स्वरूप से गैर–मुमकिन नाला है, जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 व राजस्व अधिनियम धारा 88 के उल्लघंन होने के कारण आवंटित नही की जा सकती है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आवंटी को भूमि का आवंटन वर्ष 1966 में किया गया था, परन्तु विज्ञप्ति मार्च, 1978 व नोटिफिकेशन 09.10.1980 का है अर्थात् अवाप्ति से पूर्व सभी हितधारियों से क्लेम मांगे गये थे। जिनका निस्तारण भूमियों को अवाप्त कर रक्षित वनक्षेत्र घोषित किया गया था। इसलिए वर्ष 1966 का आवंटन महत्वहीन है। वादग्रस्त भूमि साविक ख0नं0 629 का कुल रकबा 261 बीघा 17 बिस्वा है। इसमें से 207 बीघा 12 बिस्वा भूमि रक्षित वन क्षेत्र है। जिसमें से 168 बीघा भूमि का नामान्तरकरण वन विभाग के पक्ष में खोला जा चुका था, शेष लगभग 39 बीघा भूमि का नामान्तरकरण वन विभाग में इन्द्राज होना शेष है। जिसमें से वादग्रस्त भूमि भी शामिल है। अतः अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि ख0नं0 1053/2401 व ख0नं0 1056/2400 रकबा 2.53 हे0 भूमि वन विभाग की भूमि होने के कारण आवंटी को आवंटित भूमि आवंटन नियम, 1970 की धारा 14(4) के तहत आवंटन खारिज किया जावें।

अप्रार्थी सं0 1 के विद्वान् अधिवक्ता ने लिखित बहस व जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 629 रकबा 261 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि छाजूराम चौधरी पुत्र रामकुवांर को दिनांक 01.07.1966 को नियमानुसार आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात् आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त कर 1966 से निरन्तर कब्जा काश्त करता रहा एवं लगान जमा कराता रहा। आवंटन के पश्चात् की खसरा गिरादवरियों में भी आवंटी का नाम एवं बोई गई फसल का अंकन है। आवंटी छाजूराम की खातेदारी भूमि थी। छाजूराम के निधन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि उनके वारिसान बजरंगलाल व नृसिंह के नाम दर्ज हई। बजरंगलाल व नृसिंह ने उनके पिता को आवंटित भूमि को अप्रार्थी सं0 1 ग्यारसी देवी को नियमानुसार जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बैचान कर दी तथा अप्रार्थिया द्वारा लाखों रूपयें लगाकर आवंटित कृषि भूमि को उन्नत कर पुख्ता तारबंदी कर उपयोग उपभोग में ले रही है।

प्रार्थी वन विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये है उनमें राजस्व जमावंदी, गिरदावरी एवं प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकले पेश नही की है। क्षेत्रीय वन सरंक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए अधिकृत करने का कोई प्रमाण पत्र पेश नही किया गया है। मूल आवंटी छाजूराम पुत्र रामकुवांर को वर्ष 1966 से कब्जा ले कर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे, उन मूल खातेदार के विरूद्ध नामान्तरकरण को निरस्त करने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है वल्कि उनके पुत्र बजरंगलाल व नृसिंहलाल पुत्र छाजूराम को हुई भूमि के आवंटन को निरस्त करने के लिए विचाराधीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 ग्यारसी देवी पश्चात्वर्ती क्रेती है। अतः कानूनन यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है ना ही चलने योग्य है।

विद्वान् अधिवक्ता ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा कि मूल आवंटी छाजूराम चौधरी के अंकन व खातेदारी के बारे में प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति/उज्र नही किया है। वन विभाग की भूमि के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति गजट नोटिफिकेशन दिनांक 22.12.1966 को प्रकाशन हुआ एवं विज्ञप्ति दिनांक 22.12.1966 प्रकाशन प्रभावी माना जावेगा। प्रारंभिक विज्ञप्ति में गांव का नाम का उल्लेख था। किस–किस खसरे में से कितनी–कितनी भूमि ले जानी है इसका उल्लेख विज्ञप्ति में नही था। वर्ष 1980 में अधिसूचना जारी होने के पश्चात् ही खसरा नम्बरवार स्थिति स्पष्ट हो सकी थी। इस प्रकार अधिसूचना प्रभावी होने से पहले ही आवंटी छाजूराम चौधरी को वादग्रस्त भूमि दिनांक 01.07.1966 को आवंटन किया जा चुका था तथा मौके पर कब्जा दिया जा चुका था। आवंटी छाजूराम चौधरी को दिनांक 01.07.1966 को भूमि आवंटन होने के लगभग 05 माह पश्चात् दिनांक 22.12.1966 को गजट

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर जिला–जयपुर सत्यमेव जयते

नोटिफिकेशन/विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व आवंटी खातेदार छाजूराम चौधरी व वर्तमान क्रेती ग्यारसी देवी के विधिक अधिकार प्रभावित नही होते है। आवंटी को वर्ष 1966 में भूमि का आवंटन हुआ था, तत्समय 1957 के नियम प्रचलित थे। उन नियमों के अनुसार आवंटी छाजूराम आवंटन की पात्रता रखता था तथा 1957 व 1970 के दोनों नियमों में से किसी भी अधिनियम के तहत आवंटन अवैध या विधि–विरूद्ध नही है।

जो विज्ञप्ति दिनांक 22.12.1966 को जारी हुई थी उसमें धारा 29 (3) राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया था "परन्तु इसमें किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों से किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी ना ही उन पर कोई विपरीत प्रभाव पडेगा"। इस प्रकार कानूनी दृष्टि से विज्ञप्ति या अधिसूचना से आवंटी खातेदार अथवा वर्तमान खातेदार पर कोई प्रभाव नही पडेगा। विद्वान् अधिवक्ता ने कहा कि जिला कलक्टर, जयपुर ने ख0नं0 629 रकबा 261 बीघा 17 बिस्वा में से केवल मात्र 168 बीघा भूमि का ही नामान्तरकरण सं0 204 वन विभाग के नाम किया है, शेष भूमि जिन पर खातेदारी के रूप में कृषि कार्य हो रहा है वे वन विभाग के नाम नही है। वन विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में से वन बन्दोबस्ती में यह स्पष्ट अंकित है कि 207 बीघा में से केवल 168 बीघा भूमि का ही वन विभाग के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया है। इस प्रकार वन विभाग को केवल 168 बीघा भूमि ही दी गई है। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 08.08.1974 को वन सरंक्षक कार्य आयोजना वृत जयपुर को लिखे पत्र में यह स्पष्ट अंकित है कि पटवारियों के रिकार्ड से तथा दीगर जानकारी से भी यह विदित हुआ है कि वन ब्लॉक में आने वाली सैकडों बीघा भूमि अलाट हो गई है तथा नियमन कर दी गई है। इसलिए वहां का सर्वे भी पुनः कराना आवश्यक है ताकि अलाटीज की भूमि का सीमा से अलग किया जा सके। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अवैधानिक कृत्यों व कब्जा करने के कृत्यों को रोकने के लिए अप्रार्थी सं0 1 ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व वाद व उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन उपखण्ड अधिकारी, चौमू के न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें राज्य सरकार व उप वन सरक्षंक चौमू को व वन अधिकारी को मौके की यथास्थिति के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया गया है।

वन विभाग की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 के प्रावधान अनुसार धारा 29 (3) में यह प्रावधान निहित है कि जिन लोगों को खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर खातेदार के बतौर काविज काश्तकार है उनके अधिकार इस अधिसूचना से प्रभावित नही होगें। राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है वह वजंड भूमि के वन भूमि के संबंध में जारी की गई है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 व 101 व कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी प्रकरण को उसकी स्पष्टता व विधिक स्थिति व तथ्यों की वास्तविकता को प्रमाणित करने का पूर्ण भार प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता का होता है। जबकि प्रार्थी वन विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार सावित नही किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.2 (684) राज./ग्रुप–3/05 दिनांक 06.03.2006 के विन्दु सं0 2 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि "यह कि कुछ भूमि संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के समय भी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी के रूप में अंकित थी एवं ऐसी भूमियों को बिना विधिवत् अवाप्त किये ही मात्र एक अधिसूचना द्वारा वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जो गलत है। ऐसी भूमियों का राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद किया जाना कानून संभव नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की अवाप्ति नही की गई है। जिसके कारण वन विभाग का इस भूमि पर दावा करना अनुचित है।

वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1053/2401 तथा 1056/2400 को वन भूमि से अलग किया हुआ है। मौके पर भी वन भूमि व ग्यारसी देवी की भूमि अलग–अलग है। जिसकी पुष्टि भू–प्रबंध विभाग की सीमाकंन रिपोर्ट से होती है। भू–प्रबंध आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 27.01.2000, 26.06.2007 की अनुपालना में दिनांक 27.06.2007 से 30.06.2007 तक भू–प्रबंध की सर्वेक्षण टीम एवं तहसीलदार द्वारा ई.डी.एम. मशीन से मौका सर्वेक्षण सीमाकंन किया गया तथा तैयार की गई सीमाकंन

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर जिला–जयपुर सत्यमेव जयते

रिपोर्ट के अनुसार भी अप्रार्थी सं0 1 की भूमि वन भूमि से पृथक भूमि प्रतीत होती है। ख0नं0 629 से ख0नं0 1053/2401 तथा 1056/2400 को पृथक मानते हुए तरमीम की जा कर ख0नं0 629/1038 का हक व हिस्सा रिकार्डेड दर्ज कर दिया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थिया सं0 1 ख0नं0 1053/2401 तथा 1056/2400 ग्राम सामोद ख0नं0 629 से अलग होकर तथा ख0नं0 629/1038 से बने हुए नम्बर है। इस प्रकार अप्रार्थिया की वादग्रस्त भूमि पर ना तो कभी वन विभाग का कब्जा रहा ना ही कभी वन विभाग के नाम दर्ज रही। अप्रार्थिया की खरीदशुदा भूमि आवंटन दिनांक 01.07.1966 के पश्चात् विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसमें वन विभाग के पक्ष में ख0नं0 629 में से केवल 168 बीघा भूमि का ही नामान्तरकरण खोला गया था। शेष काश्तकारों को आवंटित भूमि होने के कारण ना तो वन विभाग द्वारा कब्जा लिया गया ना ही वन भूमि के रूप में अधिसूचित की गई। अप्रार्थिया सं0 1 की भूमि वन भूमि से पृथक भूमि है। प्रार्थी वन विभाग की ओर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो कानूनन पोषणीय नही है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन), नियम 1970 की धारा 14 (4) में यह अंकित है कि उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा या नियम 21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलेक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या दुव्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्ध किया हो अथवा यदि आवंटी ने आवंटन की शर्तो में से किसी भी शर्त को भंग किया हो। मूल आवंटी, आवंटी के वारिसान अथवा वर्तमान अप्रार्थी सं0 1 द्वारा आवंटन की किसी भी शर्तो का उल्लघंन नही किया गया है। आवंटन की शर्तो की पालना करने के कारण ही आवंटी को पहले गैर–खातेदार फिर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए और खातेदार काश्तकार के रूप में निरन्तर कृषि के रूप में वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग किया जाता रहा है। आवंटित भूमि पर वन विभाग का कभी कोई कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग नही रहा है। जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ना तो पोषणीय है ना ही चलने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि–विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जावें। अप्रार्थिया सं0 1 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न साक्ष्यों/न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करवाया गया :–

1. राजस्व (ग्रुप–3) विभाग द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर व वन संरक्षक जयपुर को लिखे गये पत्र क्रमांक प.2(684)राज./ग्रुप–3/05 दिनांक 06.03.2006
2. RRT 2016 (2) Page 756
3. RRT 2016-17 (Supp.) Page 304
4. RRT 2016 (1) Page 82
5. Rajasthan Forest Act, 1953 CHAPTER IV Rule 29 (3)
6. RRT 2003 (2) Page No. 854
7. RRT 2003 (2) Page No. 1303
8. RRT Jan. 2001 (1) Page No. 29

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण प्रार्थी वन विभाग द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन), नियम 1970 के अन्तर्गत पेश कर वन बन्दोबस्ती मुहार–सामोद के ख0नं0 629 रकबा 207 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से नये बने ख0नं0 1056/2400 व 1053/2401 रकबा 2.53 हे0 भूमि को वन विभाग को बजरंगलाल, नृसिंहलाल पुत्र छाजूराम को किये गये आवंटन को निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि ख0नं0 629 रकबा 261 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि जिसके हाल ख0नं0 1053/2401 व 1056/2400 रकबा 2.53 हे0 भूमि छाजूराम चौधरी पुत्र रामकुंवार को दिनांक 01.07.1966 को आवंटित हुई थी। प्रार्थी वन विभाग द्वारा विचारण प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि बजरंगलाल, नृसिंहलाल पुत्र छाजूराम को आवंटित

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सत्यमेव जयते जयपुर जिला–जयपुर

की गई थी। इस प्रकार वन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवंटी का नाम सही नही लिखे होने के कारण प्रार्थना पत्र दोषपूर्ण होना पाया गया है।

प्रार्थी वन विभाग द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह नियम, 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन), नियम 1970 की धारा 14 (4) में यह अंकित है कि *''उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा या नियम 21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलक्टर को शक्ति होगी। यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा यदि आवंटी ने आवंटन की शर्तो में से किसी भी शर्त को भंग किया हो।'* हस्तगत प्रकरण में आंवटी छाजूराम चौधरी पुत्र श्री रामकुंवार को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.07.1966 को सिवायचक भूमि का आवंटन किया गया था। इसके पश्चात् गैर–खातेदारी एवं खातेदारी दी गई थी। वर्तमान में अप्रार्थिया सं0 1 ग्यारसी देवी भी खातेदार–काश्तकार है। प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवंटी द्वारा ना तो कपट या दुव्र्यपदेशन द्वारा भूमि प्राप्त की गई है ना ही आवंटी को नियम विरूद्ध भूमि का आवंटन होना पाया गया है और ना ही आवंटी द्वारा आवंटन की किसी शर्त को भंग किया जाना पाया गया है। इस प्रकार आंवटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करने के कारण उसके खातेदारी अधिकार को नियमानुसार निरस्त नही किया जा सकता है। प्रार्थी वन विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र 14 (4) प्रस्तुत किया गया है। जिसके तहत केवल आवंटन की शर्तो की पालना नही करने, कपट या दुव्र्यपदेशन से भूमि प्राप्त करने अथवा नियम विरूद्ध आवंटन होने के कारण ही आवंटी का आवंटन निरस्त किया जा सकता है जो कि प्रस्तुत दस्तावेजो से सिद्ध नहीं होना पाया गया है। हस्तगत प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन), नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जो ना तो पोषणीय है ना ही विचारण योग्य है तथा दोषपूर्ण भी है।

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी वन विभाग द्वारा प्रस्तुत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि का आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियमानुसार पोषणीय एवं विचारण योग्य नही होने तथा दोषपूर्ण एवं सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर